पेंशन नियम

1. भूमिका

भारत सरकार, आदर्श नियोक्ता होने के कारण अपने कर्मियों के कल्याण का ध्यान न केवल उनके सेवाकाल के दौरान रखती है बल्कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी वह यही दृष्टिकोण अपनाती है। जिन सरकारी सेवकों की मृत्यु सेवाकाल में या सेवानिवृत्ति के बाद होती है उनके परिवार के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के उपबंधों के माध्यम से किया जाता है।

पेंशन का संबंध न केवल उन कर्मियों से है जिनकी सेवानिवृत्ति नज़दीक है बल्कि स्थापना अधिकारियों के लिए भी यह अति महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि उन्हें सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामलों का निपटान अत्यंत सावधानी, सहानुभूति व तत्परता से करना होता है । कहना न होगा कि किसी कर्मचारी के सेवाकाल में हुई घटनाओं पर यदि सही ध्यान नहीं दिया गया तो पेंशन से जुड़ी समस्याओं को निपटाने में कठिनाईयॉं आ सकती हैं। ये समस्याएं सेवा दस्तावेजों का सही रख-रखाव न किए जाने से संबंधित हो सकती हैं जिनके कारण अर्हक सेवा कम हो सकती है । पेंशन मामलों के निपटान में विलंब न होने देने के लिए यह आवश्यक है कि सभी संबंधित कर्मियों को अपने कार्य की सही जानकारी हो, वे प्रशिक्षित हों व उनमें दृढ़ संकल्प हो ताकि गलतियां कम से कम हों और देय होने पर सेवानिवृत्ति लाभ तत्काल दिए जा सकें।

2. सामान्य सेवानिवृत्ति लाभः-

(i). **पेंशनः** आजीवन आवर्ती मासिक भुगतान जिसका निर्धारण सेवानिवृत्ति के समय आहरित मूल वेतन पर किया जाता है तथा यह 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के अध्यधीन है ।

(ii). **सेवानिवृत्ति उपदानः** एकमुश्त राशि, 20 लाख रूपए से अनधिक, इसमें जब मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए, तब 25 प्रतिशत से वृद्धि होगी, जिसका निर्धारण सेवा की अवधि और आहरित अंतिम वेतन अथवा औसत परिलब्धियां, (6वें केन्द्रीय वेतन आयोग में यह राशि 10 लाख थी) जो भी उच्चतर हो, पर किया जाता है।

(iii). **सेवा उपदानः** कुल अर्हक सेवा 10 वर्ष से कम होने की दशा में, पेन्शन के स्थान पर भुगतान की जाने वाली राशि । सेवा उपदान सेवानिवृत्ति उपदान के अतिरिक्त होती है ।

(iv). **पेंशन का संराशीकरण:** पेन्शन के एक भाग के स्थान पर एकमुश्त भुगतान, मूल पेंशन के अधिकतम 40 प्रतिशत से अनधिक, पेन्शनर द्वारा अभिभूत ।

(v). **अर्जित छुट्टी भुनाना:** पेन्शनर के छुट्टी खाते में उपलब्ध अर्जित अवकाश/अर्द्ध वेतन अवकाश के लिए स्वीकार्य छुट्टी वेतन के बराबर धनराशि अधिकतम 300 दिनों के अध्यधीन।

(vi). **केन्द्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस):** के तहत बचत निधि में जमा राशि।

(vii). सामान्य भविष्य निधिः में जमा राशि उस पर ब्याज सहित।

(viii). **यात्रा भत्ताः** स्थानांतरण पर मिलने वाले यात्रा भत्ते के बराबर और इच्छित निवास स्थान के लिए।

(ix). चिकित्सा सुविधा सेवानिवृत्ति के बाद उपलब्ध होगी।

3. मृत्यु पर मिलने वाले लाभ

i. **मृत्यु उपदानः** एकमुश्त राशि, जो कि 1-1-2016 से 20 लाख रुपये से अधिक नहीं है, जिसमें कि 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, जब भी महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होता है, इसका निर्धारण सेवा की अवधि तथा अंतिम आहरित वेतन अथवा औसत परिलब्धियां (6 वीं सीपीसी में यह 10 लाख रुपये थी) जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाता है।

ii. **परिवार पेंशन**/वर्धित परिवार पेंशन ।

iii. बीमा राशि तथा **सीजीईजीआईएस** के तहत बचत निधि में जमा राशि ब्याज सहित ।

iv. इच्छित निवास स्थान के लिए परिवार को **यात्रा भत्ता** ।

v. डिपाजिट लिंकड इंश्योरेंस स्कीम के तहत लाभ (अधिकतम 60,000/- रूपए तक)।

4. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 किन पर लागू होते हैं ?

ये नियम **31.12.2003 को या उससे पहले** सेवा में आए सभी सरकारी सेवकों, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान पाने वाले सिविलियनों पर लागू होते हैं जो पेंशन योग्य स्थापनाओं की सिविल सेवाओं व पदों में स्थायी रूप से नियुक्त हैं । तथापि, ये नियम आकस्मिक निधि से भुगतान प्राप्त करने वाले स्टाफ, देहाड़ी पर कार्यरत स्टाफ, ठेके पर नियोजित व्यक्तियों आदि पर लागू नहीं होते ।

5. पेंशन के लिए पात्रता

यदि सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति से पहले स्थायी कर दिया जाए तो वह पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है । नियम यह है कि जिस अस्थायी कर्मचारी ने अधिवर्षिता/अशक्तता पर सेवानिवृत्ति से पहले 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो वह इस ग्राह्य पेंशन के लिए पात्र होगा बशर्ते वह केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48-क के तहत स्वैच्छिक तौर से सेवानिवृत्त हो । तथापि, स्थायीकरण को अब ग्रेड में स्थायी रिक्ति की उपलब्धता से अलग (डिलिंक) कर दिया गया है इसलिए जिस अधिकारी ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो उसे स्थायी किए जाने पर विचार किया जाता है । अतः स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति प्रथम नियुक्ति पर परिवीक्षा पूरी कर लेंगे उन्हें स्थायी घोषित कर दिया जाएगा और इस कारण पेंशन व अन्य पेंशन लाभ मंजूर करने के लिए स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों के बीच का मौजूदा अंतर समाप्त हो जाएगा ।

सेवाकाल के दौरान जिन अस्थायी कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है उनके परिवार को भी इन नियमों के तहत वही मृत्यु लाभ मंजूर किए जाते हैं जो स्थायी कर्मचारियों के परिवारों को मिलते हैं। संक्षेप में आज की तारीख में विद्यमान स्थिति यह है कि यदि सरकारी सेवक अधिकार के रूप में पेंशन लाभों के लिए पात्र होता है तो इसके लिए तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए:-

i. सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हो चुका हो या सेवानिवृत्त हो चुका समझा गया हो ।

ii. सरकारी सेवक ने सेवा में 31.12.2003 को या उससे पहले प्रवेश किया हो ।

II पेंशन के प्रकार

1. अधिवर्षिता पेंशन

यह उस सरकारी सेवक को प्रदान की जाती है जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुआ है । सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए यह आयु 60 वर्ष है । सरकारी सेवक उस माह के अंतिम दिवस के अपराह्न में सेवानिवृत्त होता है जिसमें उसने 60 वर्ष की आयु प्राप्त की है। यदि उसकी जन्म तारीख माह की पहली तारीख हो तो वह पिछले माह की अंतिम तारीख को सेवानिवृत्त होगा जिसमें उसने निर्धारित आयु प्राप्त की है (नियम 35)।

पेंशन का परिकलन औसत परिलब्धियों या परिलब्धियों के जो भी लाभकर हों, 50 प्रतिशत पर किया जाता है चाहे सेवाकाल कितना भी हो बशर्ते सेवा पेंशन योग्य हो (न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा) । अंतिम रूप से परिकलित पेंशन राशि, राशि के भाग को अगले उच्च रूपए में पूर्णांकित करके पूर्ण रूपए में अभिव्यक्त की जाती है । मूल पेंशन **न्यूनतम 9000/- रूपए और अधिकतम मूल वेतन के अधिकतम अर्थात 1,25,000 रु. प्रतिमाह का 50 प्रतिशत के अध्यधीन है,** जबकि 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन 3500/- रु. तथा अधिकतम 45,000/- रूपए प्रतिमाह थी । उदाहरण के लिए यदि एक सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति पर उसका अंतिम आहरित उच्चतर वेतन तथा औसत परिलब्धियाँ 60,000/-रूपए हो तो देय पेंशन का परिकलन इस प्रकार किया जाएगाः-

$$\text{पेंशन} = \frac{60000 \times 50}{100} = 30{,}000/\text{-रूपए प्रतिमाह + डीआर}$$

नोटः- अमान्य पेंशन हेतु न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा समाप्त कर दी गई है

i. सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हो चुका हो या सेवानिवृत्त हो चुका समझा गया हो ।

ii. सरकारी सेवक ने सेवा में 31.12.2003 को या उससे पहले प्रवेश किया हो ।

2. सेवानिवृत्त पेंशन

यह उस सरकारी सेवक को दी जाती है जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं या किए जाते हैं । सेवानिवृत्ति की तारीख प्रायः नोटिस अवधि की समाप्ति होती है और यह आवश्यक नहीं है कि वह माह की अंतिम तारीख हो । नियम 48 व मूल नियम 56 में उन दशाओं का वर्णन किया

गया है जिनमें सरकार अपने कर्मियों को उनकी 50/55 वर्ष की आयु होने पर या 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्त कर सकती है ।

3. बीस वर्ष की अर्हक सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद न्यूनतम तीन माह का नोटिस देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांग सकता है (नियम 48क) । एक सरकारी कर्मचारी के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तारीख एक कार्य दिवस होगा।

4. अशक्तता पेंशन

यह शारीरिक या मानसिक रूप से स्थायी तौर से अशक्त हो चुके सरकारी सेवक को दी जाती है। सरकारी सेवक को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से निर्धारित फार्म (फार्म 23) में चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा और इसकी पूर्ण जानकारी कार्यालयाध्यक्ष को होनी चाहिए (नियम 38)।

5. प्रतिपूर्ति पेंशन

यह तब दी जाती है जब सरकारी सेवक का स्थायी पद समाप्त कर दिया जाए और उसे ऐसे अन्य पद पर नियुक्त करना संभव न हो जिसकी शर्तों को सरकारी सेवक द्वारा धारित पद की शर्तों के बराबर समझा गया हो और उसने, उसे प्रस्तावित वेतन की अन्य नियुक्ति के लिए विकल्प न दिया हो (नियम 39)।

6. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आमेलन पर पेंशन

यह उस सरकारी सेवक को दी जाती है जिसे पीएसयू या स्वायत्त निकायों ने स्थायी रूप से आमेलित कर लिया हो । ऐसा सरकारी सेवक केन्द्र सरकार के अधीन यथानुपात सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने या स्वायत्त निकाय में सरकार के अधीन संयोजित सेवा के लाभ प्राप्त करने का विकल्प दे सकता है (नियम 37)।

7. अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन

यह उस सरकारी सेवक को दी जाती है जिसे सक्षम प्राधिकारी ने शास्ति स्वरूप सेवानिवृत्त किया है । इस पेंशन या उपदान या दोनों की राशि उस पूर्ण प्रतिपूर्ति पेंशन के दो तिहाई से कम और अधिक नहीं होगी जो उक्त सेवानिवृत्ति की तारीख को सरकारी सेवक को मंजूर की जा सकती है । सेवानिवृत्ति की तारीख वह होगी जब शास्ति प्रभावी हुई हो (नियम 40)।

8. अनुकंपा भत्ता

यह उस सरकारी सेवक को दिया जाता है जिसे सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो और उसकी पेंशन व उपदान जब्त कर लिया गया हो । उसे सेवा से बरखास्त या हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी उचित मामलों में अनुकंपा भत्ता मंजूर कर सकता है जो उस पेंशन या उपदान या दोनों के दो तिहई से अधिक नहीं होगा जो उसे प्रतिपूर्ति पेंशन पर सेवानिवृत्ति की दशा में मिलता है और यह राशि 9000/-रू. से कम नहीं होनी चाहिए (नियम 41)।

III पेंशन/उपदान संबंधी मूलभूत कारक

1. पेंशन लाभों का भुगतान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता हैः-
   i. अर्हक सेवा
   ii. परिलब्धियॉं या औसत परिलब्धियॉं

2. अर्हक सेवा

i. अर्हक सेवा, ड्यूटी पर अथवा अन्य किसी प्रकार से की गई सेवा है जिसकी गणना पेंशन व उपदान राशि तय करने के प्रयोजन के लिए की जाएगी ।

ii. सेवा तभी अर्हक होगी जब कार्य व वेतन भारत सरकार द्वारा विनियमित किए गए हों और भुगतान, भारत सरकार द्वारा प्रशासित भारत की समेकित निधि से किया जाता हो ।

iii. अर्हक सेवा उस तारीख से शुरू होगी जब सरकारी सेवक ने पद का प्रभार (अर्थात् कार्यग्रहण तारीख) लिया हो और यह मृत्यु की तारीख या सेवानिवृत्ति की तारीख को समाप्त होती है ।

iv. विभिन्न प्रकार की सेवाएं और वे पेंशन/उपदान के लिए अर्हक हैं या नहीं ।

पर/में व्यतीत अवधि	**क्या इसे अर्हक सेवा गिना जाता है**	**शर्तें (यदि कोई हों)**
परिवीक्षा (नियम-15)	जी हां	यदि इसके बाद उसी या दूसरे पद पर स्थायी घोषित किया जाए
प्रशिक्षण (नियम-22) नियुक्ति से तत्काल पहले	जी हां	कार्यग्रहण समय के सिवाय कोई अन्य व्यवधान नहीं होना चाहिए।
सेवाकालीन	जी हां	--
राज्य सरकार सेवा (नियम-14)	जी हां	कार्यग्रहण समय के सिवाय कोई अन्य व्यवधान नहीं होना चाहिए।

स्वायत्त निकाय (नियम-14)	सरकारी सेवक के पास विकल्प	कतिपय शर्तों पर
अनुबंध पर सेवा (नियम-17)	सरकारी सेवक के पास विकल्प	कतिपय शर्तों पर
पुनर्नियोजन से पहले सैन्य सेवा (नियम-19)	सरकारी सेवक के पास विकल्प	कतिपय शर्तों पर

ख)	चिकित्सा प्रमाणपत्र के बिना	
i.	नागरिक अशांति के कारण	अर्हक सेवा के रूप में गिना जाता है।
ii.	उच्च वैज्ञानिक व तकनीकी अध्ययन के लिए	अर्हक सेवा के रूप में गिना जाता है।
iii.	अन्य आधार (अर्थात उपर्युक्त (i) व (ii) से भिन्न)	अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना जाता है ।

टिप्पणीः उपर्युक्त (iii) की दशा में सेवा पुस्तिका में इस आशय की विनिर्दिष्ट तौर से प्रविष्टि की जानी होगी कि चिकित्सा प्रमाणपत्र के बिना असाधारण छुट्टी ली जा रही है वह उपर्युक्त (i) व (ii) से भिन्न आधारों पर ली जा रही है या असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा। **चिकित्सा प्रमाणपत्र के बिना ली गई असाधारण छुट्टी की जिन अवधियों के बारे में उक्त विनिर्दिष्ट प्रविष्टि नहीं की गई हो उन्हें अर्हक सेवा समझा जाएगा।**

(vi) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी के अनुक्रम में अप्राधिकृत अनुपस्थिति (छुट्टी समाप्ति के बाद अनुपस्थित रहना) पर अर्हक सेवा की गणना करते समय विचार नहीं किया जाएगा।

(vii) निलंबन अवधियॉं यदि सरकारी सेवक निलंबित हो

i.	उसे दोषमुक्त कर दिया गया हो	अर्हक सेवा के रूप में गिना जाता है।
ii.	निलंबन को पूर्णतः अनुचित ठहराया गया हो।	अर्हक सेवा के रूप में गिना जाता है।
iii.	यदि कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप छोटी शास्ति अधिरोपित की गई हो ।	अर्हक सेवा के रूप में गिना जाता है।

iv.	अन्य मामले	अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिने जाते है।

टिप्पणीः सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अवश्य घोषित किया जाना होगा कि निलंबन अवधि को अर्हक सेवा माना जाता है या नहीं और यदि माना जाता है तो किस सीमा तक । यदि कोई विनिर्दिष्ट प्रविष्टि न हो तो निलंबन अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा ।(नियम 23)

(viii) त्यागपत्र, हटाए जाने या बरखास्त किए जाने से पद सेवा समाप्त हो जाती है (नियम 24)

- **अर्हक सेवा की गणना कैसे करें?**

पेंशन व उपदान के प्रयोजन के लिए गिनी जाने वाली निवल अर्हक सेवा का परिकलनः

	वर्ष	**माह**	**दिन**
सकल सेवा आई/सी भूतपूर्व सेवा, यदि कोई हो	--	--	--
अनर्हक सेवा की अवधि घटाएं	--	--	--
निवल अर्हक सेवा	--	--	--
छह माह अवधियों (एसएमपी) में निवल अर्हक सेवा	--	--	--

टिप्पणीः 'माह' का अर्थ ''कैलेण्डर माह'' और 'वर्ष' का अर्थ ''कैलेण्डर वर्ष'' है।

- **अर्हक सेवा के लिए पूर्णांकन**

अर्हक सेवा, पूरी छह माह अवधियों (एसएमपी) में अभिव्यक्त की जाती है । ये अवधियॉ अधिकतम66 हो सकती हैं । वर्षों की खंडित अवधियों की गणना इस प्रकार की जाएगीः

वर्ष का भाग	**एसएमपी की संख्या**
तीन माह से कम	शून्य
तीन माह और उससे अधिक परंतु 9 माह से कम	एक
9 माह और उससे अधिक	दो

9. औसत परिलब्धियां/परिलब्धियां (नियम 33 व 34)

परिलब्धियां और औसत परिलब्धियां

(i) **परिलब्धियांः** परिलब्धियों के आधार पर उपदान, परिवार पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का परिकलन किया जाता है । परिलब्धियां, अंतिम आहरित वेतन होती हैं और अंतिम वेतन का अर्थ मूल नियम 9(21)(क)(।) में दी गई परिभाषा के अनुसार वह **वेतन मैट्रिक्स के अनुसार** मूल वेतन (पूर्व में बैंड वेतन व ग्रेड वेतन) है जिसे सरकारी सेवक अपनी सेवानिवृत्ति से तत्काल पहले या अपनी मृत्यु की तारीख को प्राप्त कर रहा था । प्रैक्टिस बंदी भत्ता भी परिलब्धियों में गिना जाता है। यदि सरकारी सेवक छुट्टी वेतन सहित छुट्टी पर रहा हो या वह निलंबित रहा हो परंतु बाद में पिछली सेवा जब्त किए बिना उसे बहाल कर दिया गया हो तो उन परिलब्धियों को परिलब्धियों के रूप में गिना जाएगा जो वह उस दशा में आहरित करता यदि वह ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होता या निलंबित नहीं होता । एक सौ बीस दिन से अनधिक अर्जित छुट्टी के दौरान देय वेतनवृद्धि को चाहे वह वास्तव में आहरित नहीं की गई है, परिलब्धियों के रूप में गिना जाएगा । जब सरकारी सेवक अन्यत्र सेवा में जाता है तो उस वेतन को परिलब्धियां माना जाएगा जो वह सरकार के अधीन आहरित करता, न कि जो उसने अन्यत्र सेवा में जाने के कारण आहरित किया हो।

(ii) 1 जनवरी, 2016 से सभी प्रकार के उपदानों (सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा) के परिकलनों के प्रयोजन के लिए अंतिम आहरित वेतन व सेवानिवृत्ति की तारीख को ग्राहय महंगाई भत्ते को परिलब्धियां माना जाएगा । छुट्टी भुनाने संबंधी परिकलन में अंतिम आहरित वेतन पर मिलने वाले महंगाई भत्ते को भी हिसाब में लिया जाता है।

(iii) यदि निलंबित सरकारी सेवक की मृत्यु अनुशासनिक कार्यवाहियां समाप्त होने से पहलेहो जाती है तो निलंबन की तारीख और उसकी मृत्यु की तारीख के बीच की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी माना जाएगा । ऐसी दशा में वेतन का अर्थ वह परिलब्धियां होंगी जो उसे तब मिलती जब वह निलंबित नहीं हुआ होता ।

(iv) **औसत परिलब्धियां (ए.ई) :** औसत परिलब्धियों के आधार पर पेंशन का परिकलन किया जाता है । औसत परिलब्धियों का अर्थ सरकारी सेवक द्वारा अपनी सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान आहरित परिलब्धियां हैं । यदि सेवक इन दस महीनों के दौरान असाधारण छुट्टी पर रहा हो या निलंबित रहा हो तो उस अवधि पर विचार नहीं किया जाएगा और 10 महीने से पहले की समान अवधि को औसत परिलब्धियों के परिकलन के लिए शामिल किया जाएगा । पेंशन का परिकलन, औसत परिलब्धियों या परिलब्धियों जो भी लाभकर हों, पर किया जाएगा।

(v) शास्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से यदि सेवा के अंतिम दस माह के दौरान आहरित वेतन घटा दिया जाता है तो सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए औसत परिलब्धियों को परिलब्धियां माना जाएगा ।

पेंशन के लिए परिलब्धि	उपदान के लिए परिलब्धि	पेंशन के लिए परिलब्धि
परिलब्धि का अर्थ है आहरित अंतिम वेतन अथवा औसत परिलब्धि (अंतिम दस माह की कुल परिलब्धि), जो भी लाभकारी हो		
वेतन का अर्थ वेतन मैट्रिक्स के आधार पर मूल वेतन+ एनपीए	वेतन का अर्थ वेतन मैट्रिक्स के आधार पर मूल वेतन तथा सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय महंगाई भत्ता	वेतन का अर्थ वेतन मैट्रिक्स के आधार पर मूल वेतन तथा एनपीए

टिप्पणीः-

1. 'परिलब्धि के परिकलन में मंहगाई भत्ते की गणना केवल सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान के प्रयोजन के लिए की जाती है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं ।
   (मूल नियम 9(21)(क)(I) और डीपीपीडब्ल्यू के ता. 19.10.93 के का.ज्ञा. के साथ पठित नियम 33)
2. औसत परिलब्धि को पूर्णांकित न करें ।

10. पेंशन

पेंशन का परिकलन कैसे करें?

फार्मूला: पेंशन = $\frac{50}{100}$ × औसत परिलब्धि अथवा आहरित अंतिम वेतन जो भी अधिक हो

(नियम 49(2)

न्यूनतम 9000/- रू. प्रतिमाह के अध्यधीन

(नियम 48(4)

11. सेवा उपदान (पेंशन के बदले में)

i. पेंशन के बदले इकमुश्त देय भुगतान।
ii. उन सरकारी सेवकों को ग्राहय जो 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले सेवा से निवृत्त होते हैं।
iii. कैसे परिकलित की जाती है: 1/2 ग परिलब्धि ग छह माह की अवधियां (एसएमपी) (अधिकतम66)

iv. सरकारी सेवक जिसने पॉ च वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है और सेवा उपदान प्राप्त करने का पात्र हो गया है, सेवानिवृत्ति पर, सेवानिवृत्ति उपदान का भी पात्र होगा ।

(नियम 49(1)और 50(1))

12. सेवानिवृत्ति उपदान

i. सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति पर 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा के साथ सेवानिवृत्ति की तिथि से देय

ii. सेवा उपदान या पेंशन के अतिरिक्त ग्राहय

iii. कैसे परिकलित की जाती है: 1/4 × परिलब्धि × छह माह की अवधियां (एसएमपी) (अधिकतम 66)

iv. परिलब्धियों से अधिकतम 16-1/2 गुणा बशर्ते सेवानिवृत्ति उपदान दस लाख रूपए से अधिक न हो।

(नियम 50(1)(क) व उसका पहला परंतुक)

13. मृत्यु उपदान

i. मृत सरकारी सेवक के परिवार को देय

ii. कैसे परिकलित की जाती है:

अर्हक सेवा की अवधि		**मृत्यु उपदान की दर**
i.	1 वर्ष से कम	परिलब्धियों से दोगुना
ii.	एक वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों से छह गुना
iii.	5 वर्ष से अधिक परंतु 11 वर्ष से कम	परिलब्धियों से बारह गुना
iv.	11 वर्ष से अधिक परंतु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों से बीस गुना
v.	20 वर्ष या अधिक	1/2 X परिलब्धियां X छह माह की अवधियां (अधिकतम 66) बशर्ते 20 लाख रूपए से अधिक न हो ।

प्रवीण्यं च लोकहितम्
EFFICIENCY AND THE PUBLIC GOOD

14. अवशिष्ट उपदान

i. मृत सरकारी सेवक के परिवार को देय

ii. शर्तें:

क. सरकारी सेवक सेवा उपदान या पेंशन के लिए पात्र होना चाहिए; और

ख. सरकारी सेवक की मृत्यु सेवानिवृत्ति की तारीख से पॉ च वर्ष के भीतर हुई हो।

ग. कैसे परिकलित किया जाता है: सेवानिवृत्ति के समय 12 गुना परिलब्धियों और मृत्यु के समय सरकारी सेवक द्वारा वास्तव में प्राप्त राशि (राशियों) के बीच का अंतर (सेवा उपदान या पेंशन + सेवानिवृत्ति उपदान + पेंशन के भाग का संराशीकृत मूल्य + पेंशन पर मंहगाई राहत) ।

(नियम 50(2))

सेवा उपदान, मृत्यु उपदान या अवशिष्ट उपदान का भुगतान पूर्ण रूपए में किया जाता है । रूपए के भाग को अगले उच्च रूपए में पूर्णांकित किया जाता है ।

15. उपदान के लिए 'परिवार'

उपदान के प्रयोजन के लिए परिवार का अर्थ निम्नलिखित होगाः

श्रेणी । (**I से** IV) पत्नी या पत्नियॉ जिसमें पुरूष सरकारी सेवक के मामले में न्यायिक रूप से पृथक हुई पत्नी या पत्नियॉ शामिल हैं ।

i. महिला सरकारी सेवक के मामले में, पति जिसमें न्यायिक रूप से पृथक हुआ पति शामिल है ।

ii. पुत्र जिसमें सौतेले पुत्र और गोद लिए गए पुत्र शामिल हैं ।

iii. अविवाहित पुत्रियॉ जिसमें सौतेली पुत्रियॉ और गोद ली गई पुत्रियॉ शामिल हैं।

श्रेणी II (V **से** XI)

(i). विधवा पुत्रियॉ जिसमें सौतेली पुत्रियॉ और गोद ली गई पुत्रियॉ शामिल हैं ।

(ii). पिता/जिसमें दत्तक माता-पिता शामिल हैं ।

(iii). माता यदि सरकारी सेवक की स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) में दत्तकग्रहण की अनुमति हो।

(iv). भाई जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के सौतेले भाई शामिल हैं।

(v). अविवाहित बहनें और विधवा बहनें जिसमें सौतेली बहनें शामिल हैं।

(vi). विवाहित पुत्रियॉ; और

(vii). पूर्वमृत पुत्र की संतान।

यदि नामांकन नहीं किया गया हो या किया गया नामांकन मान्य न रहे तोः

क. परिवार के जीवित सदस्यों जैसा । से IV तक को बराबर भागों में।

नियम 51(ख)(I)

ख. यदि उपर्युक्त सदस्य जैसा । से IV तक जीवित नहीं हों तो परिवार के जीवित सदस्यों जैसा V से IX तक को बराबर भागों में देय।

नियम 51(ख)(।।)

ग. यदि परिवार न हो या परिवार का कोई सदस्य जीवित न हो तो उस व्यक्ति को देय जिसके पक्ष में न्यायालय ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया है ।

(नियम 52 का परंतुक)

16. विवर्जन (डिबारिंग)

जिस व्यक्ति पर हत्या के अपराध या अपराध के दुष्प्रेरण का आरोप लगाया गया हो उसे तब तक उपदान प्राप्त करने से विवर्जित (डिबार) किया जाएगा जब तक वह दोषमुक्त न हो जाए।

(नियम 51(क))

17. सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान का व्यपगत (लैप्स) होना ।

यदि उपर्युक्त संभावनाएं न हों तो सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान व्यपगत हो जाएगा।

18. परिवार पेंशन

मृत सरकारी सेवक के परिवार को तब ग्राहय है जब उसकी मृत्यु -

i. न्यूनतम एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद हो जाए ।
ii. एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने से पहले हो जाए बशर्ते मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति से तत्काल पहले चिकित्सा जांच की गई हो और उसे सरकारी सेवा के योग्य घोषित किया गया हो; या
iii. सेवानिवृत्ति के बाद, मृत्यु की तारीख को पेंशन प्राप्त कर रहा हो ।

19. परिवार पेंशन के लिए परिवार -

परिवार पेंशन की स्वीकृति के लिए, 'परिवार' को निम्नलिखित के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाएगाः

श्रेणी-।

क. विधवा अथवा विधुर, मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो। यदि विधवा निःसंतान है और पुनर्विवाह करती है, तो उसकी पेंशन बंद नहीं होगी, बल्कि जैसे ही उसकी किसी भी स्रोत से आय 9000/- रू. या इससे अधिक होने पर यह बंद हो जाएगी।

ख. पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री को मिलाकर) उसके विवाह/पुनर्विवाह की तारीख तक अथवा उसके धनोपार्जन करने की तारीख तक अथवा 25 वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें से जो भी पहले हो ।

(नियम 54(14)(ख)

EFFICIENCY AND THE PUBLIC GOOD

श्रेणी–।।

i. अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो उपर्युक्त श्रेणी-। में शामिल नहीं है, विवाह/पुनर्विवाह की तारीख तक अथवा उसके धनोपार्जन करने तक अथवा मृत्यु होने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

ii. माता-पिता को, जो सरकारी कर्मचारी जब जीवित था/थी उस पर पूरी तरह से आश्रित थे, बशर्ते मृतक कर्मचारी की कोई विधवा अथवा संतान न हो। आश्रित माता-पिता अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री की परिवार पेंशन मृत्यु होने की तारीख तक जारी रहेगी ।

iii. श्रेणी-।। में अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों और आश्रित माता-पिता को पेंशन, केवल श्रेणी-। के परिवार के अन्य पात्र सदस्यों द्वारा परिवार पेंशन को प्राप्त करने हेतु पात्रता समाप्त होने के बाद देय होगी तथा परिवार पेंशन को प्राप्त करने के लिए कोई विकलांग सन्तान भी न हो । उसी श्रेणी में सन्तान की परिवार पेंशन की स्वीकृति उसकी जन्म तिथि के अनुसार देय होगी तथा उससे कम आयु वाली सन्तान परिवार पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे अगली अधिक आयु वाली सन्तान उस श्रेणी में परिवार पेंशन की स्वीकृति के लिए अपात्र नहीं हो जाती।

परिवार पेन्शन के लिए निर्भरता का मापदंड होगा न्यूनतम परिवार पेन्शन तथा उस पर मंहगाई राहत।

20. किसे देय होगी -

i. परिवार पेंशन एक समय में सामान्यतः एक ही व्यक्ति को निम्नलिखित क्रम में देय होगीः

i)	विधवा/विधुर	मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो। संतानहीन विधवा के मामले में पुनर्विवाह पर रोक नहीं है। वह परिवार पेन्शन के पात्र होगी, जबतक कि सभी स्रोतों से उसकी अपनी स्वतंत्र आय 9000/-रू. या अधिक न हो जाए।
ii)	पुत्र	25 वर्ष की आयु तक अथवा विवाह होने तक अथवा जबतक वह 9000/-रू. या अधिक का धनोपार्जन नहीं करने लगता, जो भी पहले हो।
iii)	अविवाहित/विधवा पुत्रियाँ	आजीवन या विवाह/पुनर्विवाह तक, अथवा जबतक वह 9000/-रू. या अधिक का धनोपार्जन नहीं करने लगती, जो भी पहले हो।
iv)	माता/पिता	केवल तब यदि मृत सरकारी कर्मचारी/पेन्शनर ने अपने पीछे न कोई विधवा और न कोई

		बच्चे छोड़े हों । मृत्यु तक उपलब्ध, पहले माता को ।

ii. संतान को परिवार पेंशन उनके जन्म के क्रम में देय होगी और सबसे छोटी संतान इस पेंशन के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक उससे ठीक ज्येष्ठ संतान परिवार पेंशन की मंजूरी के लिए अपात्र नहीं हो जाती ।

iii. मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त संतान जो अपना जीविकार्जन करने में अक्षम हैं को आजीवन परिवार पेंशन मिलेगी ।

iv. अशक्त संतान अथवा अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्रियों को आजीवन पशन तब मिलेगी जब अन्य सदस्य अपात्र हो गए हों ।

v. अशक्त पुत्र को उसके विवाह के पश्चात भी और जब तक वह 9000/-रु. या उससे अधिक कमाना शुरू न कर दे परिवार पेंशन स्वीकार्य है।

vi. यदि परिवार पेन्शन पाने के लिए केवल अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो तथा अशक्त बच्चा हो तो परिवार पेन्शन पहले अशक्त बच्चे को प्रदान की जाएगी और उसके पश्चात पुत्री को । (डीओपीटी और पीडब्ल्यू का.ज्ञा. दिनांक 11.09.2013)

21. परिवार पेंशन की सामान्य दर निम्नलिखित रूप से निर्धारित की जाती है -

परिलब्धि का 30 प्रतिशत न्यूनतम 9000/-रू. और उच्चतम वेतन अर्थात् 75,000/-रू. के अध्यधीन।

22. परिवार पेंशन की वर्धित दर

जिस सरकारी सेवक की मृत्यु सेवाकाल में हुई हो उसके परिवार को नियम 54(3)(क)(i) के तहत दस वर्ष की अवधि के लिए वर्धित परिवार पेंशन देय होगी । यदि पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो नियम 54(3)(क)(i) के तहत उसके परिवार को सात वर्ष की अवधि के लिए या उस समय तक के लिए जब तक वह जीवित रहने की दशा में 67 वर्ष की आयु का हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो वर्धित परिवार पेंशन देय होगी । परिवार पेन्शन की वर्धित दर परिलब्धि अथवा सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकृत पेन्शन की धनराशि का 50 प्रतिशत है । उपरोक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद, परिवार पेंशन सामान्य दर पर देय होगी।

23. शून्य अथवा शून्य योग्य विवाह से बच्चों की परिवार पेंशन हेतु पात्रता

6.26.1 अवैध तरीके से शादीशुदा पत्नी के बच्चों का परिवार पेंशन में उनका हिस्सा, उन्हें सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के उप-नियम 7(सी) के तहत दिए गए तरीके से कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ, देय होगा। (ओ.एम. नंबर 1/16/1996-पीएंडपीडब्ल्यू (ई) वॉल.।। दिनांक 27 नवंबर 2012)

24. पेंशन का संशोधनः

सीएपीएफ कर्मियों सहित सिविल कर्मचारियों के लिए पेंशन तैयार करना जो 1.1.2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं:-

i. सीएपीएफ सहित सभी सिविलियन कर्मियों, जो 1.1.2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए हों,को पहले उस पे-बैंड तथा ग्रेड वेतन पर जिसपर से वे सेवानिवृत्त हुए के आधार पर,वेतन मैट्रिक्स में नियत किया जाएगा, उन्हें मैट्रिक्स में समरूपी लेवल के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा । इस राशि में, सेवानिवृत्त व्यक्ति के सैद्धांतिक वेतन तक पहुंचने के लिए,उसके द्वारा सेवा के दौरान उस लेवल में तीन प्रतिशत की दर से अर्जित वेतनवृद्धियों को जोड़कर,वृद्धि की जाएगी । इस पद्धति से प्राप्त कुल राशि का पचास प्रतिशत संशोधित पेंशन होगा।

ii. दूसरी गणना निम्न प्रकार से की जानी है । पेंशन,जैसा कि छठी सीपीसी सिफारिशों के क्रियान्वयन के समय नियत किया गया था,को संशोधित पेंशन के लिए वैकल्पिक मूल्य तक पहुंचने के लिए 2.57 से गुणा किया जाएगा।

iii. पेंशनरों को वह सूत्रीकरण चुनने का विकल्प दिया जाता है जो,उनके लिए लाभकारी है।

सातवीं सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर पेंशन निर्धारण के उदाहरण ।

मामला ।:

पेंशनर 'ए' छठी सीपीसी व्यवस्था के तहत 31 मई, 2015 को 79,000 रु. के अंतिम आहरित वेतन के साथ सेवानिवृत्त हुए,उन्होंने रु. 67,000 से 79,000 के वेतनमान में तीन वेतनवृद्धियां प्राप्त की हैं:

		राशि रु. में
1.	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग में नियत मूल पेंशन	39,500/-
2.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत नियत आरंभिक पेन्शन (2.57 के मल्टिपल का उपयोग करके)	1,01,515/- विकल्प 1
3.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग में समरूपी वेतन लेवल का न्यूनतम	1,82,200/-
4.	3 वेतनवृद्धियों के आधार पर सैद्धांतिक वेतन निर्धारण	1,99,100/-
5.	इस प्रकार से प्राप्त कल्पित वेतन का 50 प्रतिशत	99,550/- विकल्प 2
6.	स्वीकार्य पेंशन राशि (विकल्प 1 और 2 में से उच्चतर)	1,01,515/-

मामला ।।:

पेंशनर 'बी' चौथी सीपीसी व्यवस्था के तहत 31 जनवरी, 1989 को रु.4,000 के अंतिम आहरित वेतन के साथ सेवानिवृत्त हुए उन्होंने रु.3,000-100-3500-125-4500 के वेतनमान में 9 वेतनवृद्धियां प्राप्त की हैंः

		राशि रु. में
1.	चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग में नियत मूल पेंशन	1,940/-
2.	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग में संशोधित मूल पेंशन	12,543/-
3.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत नियत आरंभिक पेन्शन	32,236/- विकल्प 1
4.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग में समरूपी वेतन लेवल का न्यूनतम	67,700/-
5.	9 वेतनवृद्धियों के आधार पर कल्पित वेतन निर्धारण	88,400/-
6.	इस प्रकार से प्राप्त सैद्धांतिक वेतन का 50 प्रतिशत	44,200/- विकल्प-2
7.	स्वीकार्य पेंशन राशि (विकल्प 1 और 2)	44,200/-

25. पेंशन का संराशीकरण

पेंशन के संराशीकरण का अर्थ पेंशन के एक भाग को इकमुश्त राशि में परिवर्तित करना है। जो सरकारी सेवक अपनी मासिक पेंशन का एक भाग अभ्यर्पित (सरंडर) करता है वह उस अभ्यर्पण (सरंडर) के बदले इकमुश्त भुगतान प्राप्त करता है। इकमुश्त भुगतान का परिकलन सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन मूल्य तालिका के अनुसार किया जाता है। मूल पेंशन के अधिकतम 40 प्रतिशत भाग का ही संराशीकरण किया जा सकता है। यदि सरकारी सेवक के विरूद्ध न्यायिक/विभागीय कार्यवाहियां संस्थित की गई हों तो संराशीकरण नहीं किया जा सकता। संराशीकृत मूल्य के परिकलन का फार्मूला इस प्रकार हैः

संराशीकरण के लिए प्रस्तावित राशि x 12 x संराशीकरण घटक

संराशीकरण तालिका **अनुलग्नक 'क'** में दी गई है ।

एक कर्मचारी जो 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है के संबंध में सरांशीकरण का उदाहरण नीचे दिया गया हैः-

औसत परिलब्धियां	60,000 रू.

अर्हक सेवा	33 वर्ष
अधिवर्षिता पेंशन	60000 × 50 = 30000 100
संराशीकृत राशि 40 प्रतिशत	12000
अवशिष्ट पेंशन	30000 - 12000 = 18000 रू0 प्रतिमाह (इसके अतिरिक्त 30000 रू0 के पूरे मूल पेंशन पर महंगाई राहत जो वर्तमान में 0 प्रतिशत, जुलाई, 2016 से 2 प्रतिशत हो सकता है।)
पेंशन की संराशीकरण की राशि	12000 × 12 × 8.194 = 11,79,936 रू0

संराशीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने पर पेंशनभोगी को पेंशन के संराशीकृत भाग का भुगतान प्रारंभ कर दिया जाता है ।

टिप्पणः अतिरिक्त पेन्शन/परिवार पेन्शन पेन्शनरों/परिवार पेन्शनरों को उनके 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर क्रमशः 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की दर से स्वीकार्य है । अतिरिक्त पेन्शन पर मंहगाई राहत भी उपलब्ध है ।

पेन्शनरों/परिवार पेन्शनरों की आयु	पेन्शन की अतिरिक्त मात्रा
80 से 85 वर्ष तक	मूल पेन्शन का 20 प्रतिशत
85 से 90 वर्ष तक	मूल पेन्शन का 30 प्रतिशत
90 से 95 वर्ष तक	मूल पेन्शन का 40 प्रतिशत
95 से 100 वर्ष तक	मूल पेन्शन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेन्शन का 100 प्रतिशत

प्रवीण्यं च लोकहितम्
EFFICIENCY AND THE PUBLIC GOOD

नियम 49(2-क)

अतिरिक्त पेंशन का यह लाभ उस महीने के पहले दिन से स्वीकार्य होगा जिसमें पेंशनभोगी उपर्युक्त उम्र तक पहुंचता है।

26. पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि के लिए प्राधिकार देने की प्रक्रिया

एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को या उससे पहले पेंशन भुगतान और ग्रैच्युटी आदेश जारी करने के लिए विभागीय प्रमुखों को जवाबदेह बनाया गया है। प्रत्येक विभाग प्रमुख प्रत्येक वर्ष हर तीन महीने

में 1 जनवरी/अप्रैल/जुलाई/अक्तूबर को अगले 12 से 15 महीनों में रिटायर होने वालें सभी सरकारी कर्मचारियों की एक सूची तैयार करता है। ऐसी सूची की एक प्रति लेखा अधिकारी को भेजी जानी होती है।

27. पेंशन कागज़ातों की तैयारी

यह कार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से दो साल पहले किया जाता है। सेवा पुस्तक की जांच की जानी होती है, संपूर्ण सेवा के सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र दर्ज किए जाते हैं और असत्यापित भाग, यदि कोई हो, को सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। किसी भी असत्यापित सेवा के लिए, सरकारी कर्मचारी को सादे कागज पर एक बयान दर्ज करने के लिए कहा जाता है और इस घोषणा को सत्य माना जाता है। इस स्तर पर अर्हक सेवा के संबंध में सभी चूक, खामियों और कमियों को दूर किया जाता है।

औसत परिलब्धियों की गणना के लिए, विभाग प्रमुख सेवा पुस्तिका से सेवा के पिछले 10 महीनों के दौरान आहरित/आहरित की जाने वाली परिलब्धियों की सत्ययता को सत्यापित करता है। सभी कार्यों को सेवानिवृत्ति के 6 महीने पहले पूरा करना होता है और हर प्रकार से पूर्ण पेंशन पेपरों को लेखा अधिकारी को सेवानिवृत्ति की तारीख से 4 महीने पहले भेजा जाता है। पेंशन मामलों पर प्रक्रिया के लिए पेंशन प्रक्रिया की रूपरेखा और समय सीमा इस अध्याय के अन्त में तालिका में दर्शाए गए हैं।

28. पेंशन और ग्रैच्युटी की प्राधिकरण

सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीने पहले लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान आदेश जारी कर दिया जाता है । विभाग के प्रमुख द्वारा किसी भी बकाया देय राशि का समायोजन करने के बाद उपदान की राशि आहरित तथा वितरित की जाती है।

29. अनंतिम पेंशन

यदि लेखा अधिकारी पेंशन और ग्रैच्युटी आदेश जारी करने की स्थिति में नहीं है, तो कार्यालय का प्रमुख, उनके कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध सूचना के आधार पर, अस्थायी पेंशन भुगतान आदेश और अस्थायी उपदान जारी करेगा । अनंतिम पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने की अवधि से अधिक नहीं की जाएगी और छः महीनों के बाद अनंतिम पेंशन/ग्रैच्युटी को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

क-नियम 64

अनंतिम पेंशन की अनुमति दी जाती है जब:

- सेवानिवृत्ति के 6 महीने पहले कार्यालय का प्रमुख पेंशन पेपरों को अग्रेषित नहीं कर पाया था।
- लेखा अधिकारी ने टिप्पणी की है जिसके कारण प्रक्रिया में देरी होने की संभावना है।

ख-नियम 69

जहां सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय या न्यायिक जांच लंबित हो:

मामला 'क' में

- यदि अनंतिम पेंशन अंतिम पेंशन से अधिक है, तो अधिक राशि की वसूली अतिरिक्त ग्रैच्युटी, यदि देय हो तो, से की जाएगी अन्यथा पेंशन का कम भुगतान किया जाएगा
- यदि अनंतिम उपदान अंतिम उपदान से अधिक है तो, कोई वसूली नहीं

मामला 'ख' में

- लेखा अधिकारी द्वारा केवल अनंतिम पेंशन प्राधिकृत किया जाएगा
- कार्यवाही के समाप्त होने से पहले कोई ग्रेच्युटी प्राधिकृत नहीं की जाएगी
- यदि निलंबित नहीं किया गया है तो, सेवानिवृत्ति की तारीख तक सेवा की गणना की जाएगी
- यदि निलंबित किया गया है तो, निलंबन से पहले की तारीख तक सेवा की गणना की जाएगी
- कार्यवाही समाप्त होने के बाद, अंतिम पेंशन आदेश जारी किए जाएंगे
- अतिरिक्त पेंशन भुगतान पर कोई वसूली नहीं

30. नामांकन

मुख्य रूप से सेवा अभिलेखों में उचित नामांकन की अनुपलब्धता के कारण पेंशन लाभ के निपटारे में देरी होती है। यह मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार की पीड़ा में वृद्धि करताहै । नामांकन के अभाव में, बकाया राशि का दावा करने के लिए, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया पार करनी पड़ती है । जब भी प्राथमिकताएं बदलती हैं, तब सरकारी कर्मचारी अपना नामांकन बदल सकते हैं । आजीवन पेंशन बकाया के मामले में नामांकन, सेवानिवृत्ति के पहले पेंशन के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना होता है । पेंशनरों द्वारा बाद में, नामांकन को बदलने के लिए संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरणों को आवेदन दायर किया जा सकता है । इस नामांकन के होने पर पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करने में सुविधा होगी । पेंशनर अपने बैंकर के साथ नामांकन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

एक अविवाहित व्यक्ति नामांकन करने के समय, अपनी मृत्यु होने पर ग्रैच्युटी राशि प्राप्त करने के लिए अपने पिता को नामांकित करता है। वह ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि तत्पश्चात उसके विवाह कर लेने पर वह नामांकन अमान्य हो जाएगा। यदि वह नामांकन में इस आकस्मिकता का प्रावधान नहीं करता है तो विवाह के उपरांत उसकी मृत्यु हो जाने पर उपदान का भुगतान नामांकित व्यक्ति (यानी उसके पिता) को किया जाएगा और उसकी पत्नी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा ।

31. सामान्य

समस्त पेंशन/उपदान और महंगाई राहत रुपए में देय है । पेंशन/परिवार पेंशन उस तारीख तक देय है जिस तारीख को प्राप्तकर्ता की मृत्यु होती है तथा वह तारीख भी सम्मिलित होती है । पेंशन अनुदान और इसकी निरंतरता पेंशनभोगी के भविष्य में अच्छे आचरण के अध्यधीन है । केवल किसी लिपिकीय त्रुटि को सही करने के अलावा, अंतिम रूप से प्राधिकृत पेंशन में संशोधन यदि पेंशनधारक को नुकसान हो रहा हो तो नहीं किया जा सकता है ।

पेंशन भोगी के विरूद्ध उत्पन्न किसी भी मांग के लिए पेंशन को ज़ब्त नहीं किया जा सकता है, और न ही पेंशनभोगी पेंशन की प्रत्याशा में कोई काम हाथ में ले सकता है । लेकिन, अगर कोई पेंशनभोगी गंभीर अपराध का दोषी ठहराया जाता है या गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद एक निश्चित या अनिश्चित अवधि के लिए पेंशन को पूरी तरह से या आंशिक रूप से वापस ले लिया जा सकता है, जिसके साथ-साथ पेंशनभोगी को इस प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताओ के लिए अवसर देना अपेक्षित होता है ।

32. आरजी/डीजी के देरी से भुगतान पर ब्याज

प्रशासनिक चूक के कारण भुगतान में देरी होने पर पेंशनर सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रैच्युटी पर ब्याज प्राप्त करने का हकदार होता है। सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद ग्रैच्युटी देय हो जाती है:-

- अधिवर्षिता के मामले में 3 महीने से अधिक अवधि की देरी होने पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा ।
- अधिवर्षिता के अलावा सेवानिवृत्त होने के मामले में 6 महीने
- सेवा के दौरान मृत्यु की तारीख से 6 महीने

यदि जांच के आदेश दिए गए हो तोः-

- **दोषमुक्त होने पर -** ग्रैच्युटी सेवानिवृत्ति की तारीख से देय होती है और यदि इसके भुगतान में 3 महीने की अवधि से अधिक देरी होती है तो ब्याज स्वीकार्य होगा ।
- **मृत्यु होने पर -** मामला समाप्त। मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से ग्रैच्यूटी देय होती है। अतः यदि इसके भुगतान में मृत्यु की तारीख से 3 महीने की अवधि से अधिक की देरी होती है तो ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- **दोषमुक्त न होने परः** अगर ग्रेच्युटी की अनुमति दी गई है, तो आदेश के बाद की तिथि से देय होता है। अतः, आदेश की तारीख से 3 महीने से अधिक की देरी होती है तो ब्याज का भुगतान किया जाएगा ।

33. पेंशन मामलों के निपटान के लिए जांच सूची

1. पेंशन व उपदान निर्धारण के लिए तीन प्रतियों में आवेदन फार्म ।

2. कार्यालयाध्यक्ष, सरकारी सेवक से, ये कागजात प्राप्त करेगाः सरकारी सेवक का, उसके परिवार का विवरण, संयुक्त फोटोग्राफ - तीन प्रतियों में ।

3. निर्धारित फार्म में सहपत्र (कवरिंग लेटर)

4. छुट्टी खाते के भाग सहित विधिवत पूरी की गई सेवा पुस्तिका (सेवा पुस्तिका में सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख किया जाए) । सेवा सत्यापन का प्रमाणपत्र दर्ज किया जाए ।

5. यदि सरकार को कोई ऐसी राशि देय हो जिसकी वसूली की जानी है तो उसका विवरण ।

6. बेबाकी प्रमाणपत्र ।

7. उपदान के लिए नामांकन ।

8. विधिवत अनप्रमाणित नमूना हस्ताक्षरों की तीन प्रतियां ।

9. विधिवत अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार की तीन फोटो ।

10. इस आशय का प्रमाणपत्र कि कर्मचारी के विरूद्ध कोई अनुशासनिक/सतर्कता मामला लंबित नहीं है/न ही चलाए जाने का विचार है ।

11. तीन प्रतियों में बैंक विकल्प ।

12. यदि कर्मचारी अन्यत्र सेवा में रहा हो तो छुट्टी वेतन/पेंशन अंशदान की प्राप्ति संबंधी प्रमाणपत्र (यह सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाए)।

13. अशक्तता के बारे में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाणपत्र (यदि दावा अशक्तता पेंशन के लिए हो) ।

14. लंबाई और पहचान/चिह्न के विवरण की दो पर्चियां जो विधिवत अनुप्रमाणित हों ।

15. पेंशन के संराशीकरण का आवेदन ।

16. आधार कार्ड का विवरण/संख्या।

34. परिवार पेंशन के निपटान के लिए जांच सूची

1. परिवार पेंशन के लिए विधिवत् भरा गया आवेदन फार्म ।

2. सेवा पुस्तिका (सेवा पुस्तिका में मृत्यु की तारीख का उल्लेख किया जाए)

3. आवेदक के विधिवत अनुप्रमाणित तीन नमूना हस्ताक्षर ।

4. विधिवत् अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार की तीन फोटो ।

5. यदि आवेदक इतना साक्षर न हो कि वह अपने हस्ताक्षर कर सके तो उसके बाएं हाथ के अंगूठे व उंगलियों की छाप युक्त, पहचान चिह्न आदि दर्शाने वाली दो पर्चियां जो विधिवत अनुप्रमाणित हों।

6. आवेदक की विवरणात्मक पंजी जिसमें लंबाई, पहचान चिह्नों आदि का उल्लेख हो। यह विधिवत अनुप्रमाणित होनी चाहिए ।

7. मृत्यु प्रमाणपत्र ।

8. उपदान भुगतान के लिए नामांकन ।

9. तीन प्रतियों में बैंक विकल्प ।

10. निर्धारित फार्म में परिवार का ब्योरा ।

11. आधार कार्ड का विवरण/संख्या।

35. **<u>पेंशन प्रक्रिया की रूपरेखा और निर्धारित समय सीमा</u>**

क्र. सं.	**प्रक्रिया**	**संबंधित प्राधिकारी**	**निर्धारित समय सीमा**	**नियम**
1.	उन कर्मचारियों की सूची तैयार करना जो 12 से 15 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।	विभागाध्यक्ष	1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर प्रत्येक वर्ष	56(1)
2.	सूची की सूचना संबंधित लेखा अधिकारी को देना	विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष	31 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्तूबर	56(2)
3.	सूची संपदा निदेशालय को भेजना	कार्यालयाध्यक्ष	सेवानिवृत्ति से 12 माह पूर्व	56(4)
4.	अर्हक सेवा तथा औसत परिलब्धियों का सत्यापन	कार्यालयाध्यक्ष	सेवानिवृत्ति से 12 माह पूर्व।	59 (क)और(ख)
5.	कर्मचारी को तथ्यों की सूचना	कार्यालयाध्यक्ष	सेवानिवृत्ति से 8 माह पूर्व	59(ग)

6.	कर्मचारी द्वारा कागजात प्रस्तुत करना	कर्मचारी	सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व	59(ग)(III)
7.	वेतन और लेखा कार्यालय को कागज प्रस्तुत करना ।	कार्यालयाध्यक्ष	सेवानिवृत्ति से 4 माह पूर्व	61(4)
8.	जांच करना और पीपीओ पेंशन अदाकर्ता प्राधिकारी को अग्रेषित करना	लेखा अधिकारी	सेवानिवृत्ति से 4 माह पूर्व	(65)
9.	पीपीओ, सीपीएओ को भेजना	लेखा अधिकारी	सेवानिवृत्ति वाले माह से पहले वाले माह के अंतिम कार्य दिवस को	
10क	पीपीओ के बैंक वाले भाग को, प्राधिकृत बैंक के सीपीपीसी को भेजना	सीपीएओ	सेवानिवृत्ति वाले माह की 20 तारीख तक	
10ख	पीपीओ के पेन्शनर वाले भाग को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को सौंपना	कार्यालयाध्यक्ष	सेवानिवृत्ति की तारीख	
11.	सभी औपचारिकताओं को पूरा करना और पेंशन पेंशनर के खाते में जमा करना ।	सीपीपीसी/ अदाकर्ता शाखा	महीने की अंतिम तारीख को	

प्रवीण्यं च लोकहितम्
EFFICIENCY AND THE PUBLIC GOOD

संराशीकरण तालिका

उम्र	कारक	उम्र	कारक	उम्र	कारक
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान • Institute of Secretariat Training & Management
सत्यमेव जयते
प्रवीण्यं च लोकहितम्
EFFICIENCY AND THE PUBLIC GOOD

35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.090	61	8.194	–	–

निःशक्तता के प्रतिशत की गणना कैसे की जाती है ? यह किसके लिए लागू है ?

36. निःशक्तता के प्रतिशत की गणना केवल सीसीएस (ईओपी) नियमों के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के संबंध में ही की जाती है । लाभ के भाग का निर्धारण करने के लिए निःशक्तता प्रतिशत की गणना करने के प्रयोजनार्थ निःशक्तता या कार्यात्मक अक्षमता की सीमा निम्नलिखित पद्धति से निर्धारित की जाती हैः -

मेडिकल बोर्ड द्वारा मूल्यांकित निःशक्ता का प्रतिशत	**निःशक्तता पेंशन की गणना के लिए निर्धारित प्रतिशत**
50 प्रतिशत तक	50 प्रतिशत
50 प्रतिशत से अधिक तथा 75 प्रतिशत तक	75 प्रतिशत
75 प्रतिशत से अधिक तथा 100 प्रतिशत तक	100 प्रतिशत

बशर्ते की उपर्युक्त विस्तृत बैंडिंग उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जो सेवा में बनाए रखे गए हैं और जिन्हें एकमुश्त मुआवजा दिया गया है ।

37. कैसे दिव्यांग जन पेंशन अमान्य पेंशन से अलग है?

अमान्य पेंशन सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 38 के तहत दी जाती है जब सरकारी कर्मचारी किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सेवा से अमान्य हो जाते हैं जबकि दिव्यांग जन पेंशन सीसीएस (ईओपी) नियमों के तहत दी जाती है । सीसीएस (सीओपी) नियमों में यह प्रावधान है कि यदि सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा के कारण होने वाली चोट के कारण सेवा से बाहर जाना जाता है तो उसे विकलांगता पेंशन प्रदान की जाएगी जिसमें सेवा घटक और विकलांगता घटक भी शामिल हैं। अमान्य पेंशन और विकलांगता पेंशन को जोड़ा नहीं जा सकता।

38. सिविलियन कर्मचारियों को उनके प्रमाणिक आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मृत्यु होने पर दिए जाने वाले अनुग्रहपूर्वक एकमुश्त मुआवजे की संशोधित मात्रा क्या है

पेंशन और पीडब्ल्यू विभाग के ओ.एम. संख्या 38/37/2016 -पीएंडपीडब्ल्यू(सी) (i) दिनांक 4.08.2016 के संशोधन में सिविलियन अधिकारियों को उनके प्रमाणिक आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मृत्यु होने पर दिए जाने वाले अनुग्रहपूर्वक एकमुश्त मुआवजे में निम्नानुसार संशोधन किया गया है

क.	कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु	रु. 25.00 लाख
ख.	आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा के कारण कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौत	रु. 25.00 लाख
ग.	(क) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा झड़पों में दुश्मन की कार्रवाई और (ख) मिलिटेंट, आतंकवादियों, उग्रवादियों आदि के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मृत्यु	रु. 35.00 लाख
घ.	प्राकृतिक आपदा, कठोर मौसमी स्थितियों के कारण विशिष्ट ऊंचाई, दुर्गम सीमावर्ती चौकियों आदि में ड्यूटी के दौरान मृत्यु	रु. 35.00 लाख
ड.	युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई के दौरान होने वाली मौत या ऐसे युद्ध जैसे अनुबंध, जिन्हें विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है और मृत्यु विदेश में युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीय नागरिकों की निकासी के दौरान होती है।	रु. 45.00 लाख

39. पेंशनभोगी को पहचान पत्र जारी करना

जिस कार्यालय से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है वह कार्यालय पेंशनभोगी को एक पहचान पत्र जारी करेगा। पेंशनरों के पहचान पत्र में पता, टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति के दौरान धारित पद, पीपीओ/पीआरएएन नंबर, आधार कार्ड नंबर आदि के बारे में जानकारी शामिल होती है।

दिल्ली तथा अन्य महानगरों/बड़े शहरों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के पहचान पत्र 600 डीपीआई रेज़ोल्यूशन्स वाले पीवीसी थर्मल प्रिंटर की मदद से प्लास्टिक कार्ड के रूप में छपवाये जा सकते हैं । उस कार्यालय में जहां से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा हो में यदि, प्लास्टिक कार्ड के मुद्रण के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो, पेंशनर्स पहचान पत्र बाजार से स्थानीय रूप से मुद्रित कराए जा सकते हैं ।

40. संकल्प

i. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार ने एक ऐसी पहल की शुरुआत की है जिसमें पेंशनरों के लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध होगा जहां से वे समाज में उपयोगिता कार्य के लिए उपलब्ध अवसरों तक पहुंच सकते हैं । यह इन क्षेत्रों में काम कर रहे संगठनों को स्वयंसेवक पेंशनभोगी के उपलब्ध पूल से उचित कौशल और विशेषज्ञता का चयन करने के लिए की सुविधा भी देता है । इस पहल का एक और प्रमुख घटक है सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अपने जीवन के दूसरी पारी में आसानी से पारगमन करने में मदद करने के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाओं का संचालन करना।

संकल्प के तहत किन्हें पंजीकृत किया जा सकता है?

ii. पेंशनभोगी, पेंशनभोगी एसोसिएशन और गैर-सरकारी संगठनों को संकल्प के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है ।

पेंशनरों के पंजीकरण के लिए क्या आवश्यक है?

iii. केंद्रीय सरकार सिविल पेंशनरों के लिए 12 अंकों का पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए सेवा संख्या, रैंक और रिकार्ड कार्यालय । इसके अलावा, संकल्प के तहत पेंशनरों के पंजीकरण के लिए जन्म की तारीख, अधिवर्षिता की तारीख, पदनाम, विभाग, पैन नंबर और मोबाइल नंबर आवश्यक है ।

संकल्प के तहत पंजीकरण की विधि

iv. पेंशनर, वेबसाइट अर्थात http://pensionersportal.gov.in/Sanklap पर ऑनलाइन पेंशनर पंजीकरण फार्म जमा कर सकते हैं । साथ ही, 12 अंकों के पीपीओ की स्वयं-प्रमाणित प्रतिलिपि डीओपीएंडपीडब्लू को भेजी जानी है । सत्यापन के बाद, उनका पंजीकरण हो जाएगा तथा उन्हें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे लॉग-इन कर सकते हैं ।

क्या एक पेंशनभोगी अपने काम के लिए वेतन /मानदेय प्राप्त करेगा?

v. डीओपीपीडब्ल्यू केवल एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां पेंशनभोगी स्वैच्छिक आधार पर कार्य/योगदान करने के अवसरों का उपयोग कर सकते हैं और संगठन/संघ मानव संसाधनों के उपलब्ध पूल में से उचित कौशल और विशेषज्ञता का चयन कर सकते हैं ।

41. जीवन प्रमाणन

i. भारत सरकार की पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्कीम को जीवनप्रमाणन के नाम से जाना जाता है। यह जीवन प्रमाणपत्र हासिल करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करने के द्वारा पेंशनरों की समस्या को हल करने का प्रयास करता है। नवंबर के महीने में हर वर्ष पेंशनरों को अपने खाते में पेंशन के निरंतर भुगतान के लिए प्राधिकृत पेंशन वितरण एजेंसियों जैसे कि बैंक को जीवन प्रमाणपत्र देना होता है । इस जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पेंशन आहरित करने वाले व्यक्ति को या तो पेंशन वितरण एजेंसी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक होता है या उस प्राधिकरण, जहां उन्होंने पहले सेवा की है द्वारा, जीवन प्रमाणपत्र जारी करवाना होता है और वितरण एजेंसी को सुपुर्द करना होता है। यह देखा गया है कि यह विशेष रूप से वृद्ध और अशक्त पेंशनरों के लिए बहुत कठिनाई और अनावश्यक असुविधा का कारण बनता है जो अपने जीवन प्रमाण पत्र को हासिल करने के लिए विशेष प्राधिकरण के सामने स्वयं को पेश करने की स्थिति में नहीं होते हैं । इसके अलावा कई पेंशनभोगी अपने परिवार या अन्य कारणों से दूसरे देश जाने का फैसला करते हैं, और इस जीवन प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करना उनके लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है।

ii. 'जीवनप्रमाणन' का उद्देश्य इस प्रमाणपत्र को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और पेंशनरों के लिए परेशानी मुक्त और काफी आसान जीवन प्रदान करना है । इस प्रणाली के आरंभ होने पर पेंशनधारकों को व्यक्तिगत रूप से वितरण एजेंसी या प्रमाणन प्राधिकरण के सामने स्वयं को पेश करने की जरूरत नहीं होगी । वह अपने कंप्यूटर पर घर से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है जो बैंक को भी स्वीकार्य होगा।

जीवनप्रमाणन के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

iii. जीवनप्रमाणन सुविधा का उपयोग करने वाले इच्छुक पेंशनरों को पहले अपने पेंशन खाते को आधार नंबर से जोड़ना होगा। एक बार सीडिंग पूरा हो जाने पर पेंशनर इस साफ्टवेयर को https://jeevanpramann.gov.in से डाउनलोड कर सकता है ।

पेंशनधारक की जानकारी जैसे कि पेंशन आधार संख्या, पेंशनर का नाम, पीपीओ संख्या, बैंक खाता विवरण, पता, मोबाइल नंबर आदि को वेब आधारित/क्लाइंट इंटरफेस के माध्यम से सिस्टम में फीड किया जाता है और अंत में पेंशनधारक की व्यक्तिगत जानकारी को आधार संख्या के माध्यम से प्राधिकृत किया जाता है और इसके लिए पेंशनधारक को फिंगर प्रिंट स्कैनर पर अपनी उंगली को या आईरिस स्कैनर पर अपनी आंखों को रखना होगा।

iv. प्रमाणन आईडी के सफल प्रमाणीकरण के बाद, ट्रांज़ेक्शन नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है और इसे पेंशनधारक के मोबाइल पर पोर्टल से एसएमएस के रूप में भेजा जाता है। सफलतापूर्वक प्रमाणित पेंशनभोगी के लिए पोर्टल एक इलेक्ट्रानिक जीवनप्रमाणन जेनरेट करता है और इसे केंद्रीय जीवन प्रमाणपत्र संग्रह डाटाबेस में जमा किया जाता है । पोर्टल और बैंक सर्वर के बीच बनाए गए इलेक्ट्रानिक डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म के माध्यम से, वितरण बैंक अपने पेंशनरों के लिए पोर्टल से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

v. पेंशनर को बैंक को सूचित करना होगा कि उसका जीवनप्रमाणन जीवनप्रमाणन पोर्टल से ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से जेनरेट हो गया है ।

42. **पेंशनरों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधा**

i. यदि पेंशनभोगी सीजीएचएस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं तो वे अपने वेतन के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय में एकमुश्त रकम जमा करके इलाज के लिए चयनित डिस्पेंसरी से उपचार जारी रखने के हकदार हैं।

ii. जहां पेंशनभोगी सीजीएचएस द्वारा कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में रह रहे हैं, और यदि वे सीजीएचएस सुविधा के लिए निकटतम शहर में सीजीएचएस डिस्पेंसरी से ओपीडी उपचार का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वे **500/-**रु. प्रतिमाह की दर से निर्धारित चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं ।

****